

# कार्यालय जिला निर्वाचन अधिकारी जिला जबलपुर

मेल आई डी deojabalpur01@gmail.com

## संसोधित निविदा सूचना

भाग-1

ई -निविदा आवेदन हेतु शुल्क रु 5000 ( Non Refundable)

भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों के अनुसार प्रत्येक वर्ष विधान सभा निर्वाचक नामावलियों के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण एवं आयोग द्वारा समय - समय पर जारी दिशा - निर्देशों के अनुसार विधान-सभा क्षेत्रों के लिये फोटो निर्वाचक नामावलियों, बी एल ओ रजिस्टर, फोटो मतदाता पर्ची एवं मतदाता पर्ची वितरण रजिस्टर के मुद्रण हेतु GST पंजीकृत अनुभवी प्रतिष्ठित फर्मों से ई -निविदा वेब साईट [www.mptenders.gov.in](http://www.mptenders.gov.in) के माध्यम से आमंत्रित की जाती है।

|    |   |                            |
|----|---|----------------------------|
| 01 | वेबसाईट <a href="http://www.mptenders.gov.in">www.mptenders.gov.in</a> पर निविदा उपलब्ध होने की तिथि  | 27/09/2021<br>सुबह 09 बजे। |
| 02 | वेबसाईट <a href="http://www.mptenders.gov.in">www.mptenders.gov.in</a> पर नियत शर्तों - निर्देशों के अनुसार तकनीकी और वित्तीय ई - निविदा ऑन लाईन अपलोड करने की अंतिम तिथि एवं समय   | 06/10/2021<br>दोपहर 03 बजे |
| 03 | निर्धारित नियम - शर्तों/निर्देशों के अनुसार तकनीकी ई -निविदा के रूप में अन्य अभिलेखों के साथ - साथ वेबसाईड में अपलोड ई -निविदा आवेदन शुल्क और धरोहर धनराशि ( अर्नेस्ट मनी ) का अलग - अलग प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि और समय | 06/10/2021<br>दोपहर 03 बजे |
| 04 | निविदा समिति / अधिकृत अधिकारियों द्वारा ई -निविदा की तकनीकी प्रस्ताव खोले जाने तथा नियमानुसार तकनीकी प्रस्तावों का मूल्यांकन आदि हेतु तिथि और समय   | 07/10/2021<br>दोपहर 03 बजे |
| 05 | तकनीकी ई -निविदा में सफल निविदाकारों की नियमानुसार वित्तीय ई -निविदा खोले जाने की तिथि एवं समय  | 08/10/2021<br>दोपहर 03 बजे |

  
संयुक्त कलेक्टर

एवं उप-जिला निर्वाचन अधिकारी

जबलपुर

## कार्यालय जिला निर्वाचन अधिकारी

### जिला जबलपुर

संख्या 424/निविदा/अ-अ/अण्डर/२०२१ अलग्गु दिनांक २५/०५/२१

विधान-सभा क्षेत्रों के लिये फोटो निर्वाचक नामावलियों, बी एल ओ रजिस्टर, फोटो मतदाता पर्ची एवं मतदाता पर्ची वितरण रजिस्टर के मुद्रण हेतु ई-निविदा

# कार्यालय जिला निर्वाचन अधिकारी जिला जबलपुर

मेल आई डी deojabalpur01@gmail.com

## भाग-1

### ई -निविदा आवेदन हेतु शुल्क रु 5000 ( Non Refundable)

भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों के अनुसार प्रत्येक वर्ष विधान सभा निर्वाचक नामावलियों के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण एवं आयोग द्वारा समय - समय पर जारी दिशा - निर्देशों के अनुसार विधान-सभा क्षेत्रों के लिये फोटो निर्वाचक नामावलियों, बी एल ओ रजिस्टर, फोटो मतदाता पर्ची एवं मतदाता पर्ची वितरण रजिस्टर के मुद्रण हेतु GST पंजीकृत अनुभवी प्रतिष्ठित फर्मों से ई -निविदा वेब साईट [www.mptenders.gov.in](http://www.mptenders.gov.in) के माध्यम से आमंत्रित की जाती है।

|    |   |                            |
|----|---|----------------------------|
| 01 | वेबसाईट <a href="http://www.mptenders.gov.in">www.mptenders.gov.in</a> पर निविदा उपलब्ध होने की तिथि  | 25/09/2021                 |
| 02 | वेबसाईट <a href="http://www.mptenders.gov.in">www.mptenders.gov.in</a> पर नियत शर्तों - निर्देशों के अनुसार तकनीकी और वित्तीय ई - निविदा ऑन लाईन अपलोड करने की अंतिम तिथि एवं समय   | 06/10/2021<br>शाम 6 बजे तक |
| 03 | निर्धारित नियम - शर्तों/निर्देशों के अनुसार तकनीकी ई -निविदा के रूप में अन्य अभिलेखों के साथ - साथ वेबसाईड में अपलोड ई -निविदा आवेदन शुल्क और धरोहर धनराशि ( अर्नेस्ट मनी ) का अलग - अलग प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि और समय | 06/10/2021<br>शाम 6 बजे तक |
| 04 | निविदा समिति / अधिकृत अधिकारियों द्वारा ई -निविदा की तकनीकी प्रस्ताव खोले जाने तथा नियमानुसार तकनीकी प्रस्तावों का मूल्यांकन आदि हेतु तिथि और समय   | 07/10/2021<br>दोप. 03 बजे  |
| 05 | तकनीकी ई -निविदा में सफल निविदाकारों की नियमानुसार वित्तीय ई -निविदा खोले जाने की तिथि एवं समय  | 08/10/2021<br>दोप. 03 बजे  |

  
कलेक्टर

एवं जिला निर्वाचन अधिकारी

जबलपुर

**भाग - 2**

**कार्य क्षेत्र में समाहित कार्य का विवरण**

**( Scope of Work )**

1. जिले की समस्त विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियों, बी एल ओ रजिस्टर, मतदाता पर्ची एवं मतदाता पर्ची वितरण रजिस्टर की लेजर प्रिंटिंग करना ( कम से कम) 600 DPI पर लेजर प्रिंटिंग, किसी भी स्थिति में फोटो कॉपी मान्य नहीं होगी।
2. लेजर प्रिंटिंग के पश्चात प्रत्येक मतदान केंद्र की निर्वाचक नामावली को मतदान केन्द्रवार Staple करना।
3. स्टेपल करने के पश्चात विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रवार सेट तैयार करना अर्थात यदि एक विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में 001 से 142 तक मतदान केंद्र है तो मतदान केंद्र संख्या - 001 से 142 तक की निर्वाचक नामावली को हेडर फुटर के साथ क्रमवार लगाकर सेट बनाना।
4. प्रत्येक वर्ष विधान सभा निर्वाचक नामावली के पुनरीक्षण के लिए प्रत्येक मतदान केंद्र की निर्वाचक नामावली की एक प्रति (Single side) लेजर प्रिंट एवं लगभग 10 कॉपी (Both Side) लेजर प्रिंटिंग करवाई जाती है किन्तु निर्वाचन वर्ष के दौरान लेजर प्रिंटिंग कॉपियों की संख्या अधिक भी हो सकती है और कदाचित किसी वर्ष 10 कॉपी से कम भी हो सकती है। अर्थात लेजर प्रिंटिंग कॉपियों की संख्या घट - बढ़ सकती है।
5. कार्यादेश के पश्चात जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा सूचित निर्धारित अवधि के अंदर लेजर प्रिंटिंग करना मतदान केन्द्रवार स्टेपल कर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रवार सेट बनाकर प्रत्येक जिला निर्वाचन कार्यालय तक पहुँचाना।
6. वर्तमान में दिनांक 1 नवम्बर, 2021 को निर्वाचक नामावली का प्रारूप प्रकाशन प्राप्त मतदाताओं और मतदान केन्द्रों के आधार पर 10 कॉपी लेजर प्रिंटिंग किये जाने के अनुमान के आधार पर कुल पृष्ठों का अनुमानित व्यय का विधानसभा वार विवरण निम्न है :-

| विधान सभा क्षेत्र क्रमांक व नाम | 1.11.2021 की स्थिति के अनुसार कुल |         | अनुमानित कुल पेज (लेजर कॉपी) (Single side) | अनुमानित पेज (प्रत्येक मतदान केंद्र के लिए 10 कॉपी लेजर प्रिंटिंग करने पर) (Double side) | ई-निविदा हेतु निर्धारित धरोहर धनराशी ( EMD) ( रु.) |
|---------------------------------|-----------------------------------|---------|--|--|--|
|                                 | मतदान केंद्र                      | मतदाता  |  |  |  |
| 95 Patan                        | 303                               | 246626  | 9628                                       | 96280  | 10000.00   |
| 96 Bargi                        | 285                               | 233049  | 9059                                       | 90590  | 10000.00   |
| 97 East                         | 224                               | 247462  | 9481                                       | 94810  | 10000.00   |
| 98 North                        | 242                               | 219541  | 8655                                       | 86550  | 10000.00   |
| 99 Cantt                        | 213                               | 188632  | 7650                                       | 76500  | 10000.00   |
| 100 West                        | 276                               | 240616  | 9374                                       | 93740  | 10000.00   |
| 101 Panagar                     | 306                               | 256038  | 9921                                       | 99210  | 10000.00   |
| 102 Sihora                      | 282                               | 221709  | 8578                                       | 85780  | 10000.00   |
| Total                           | 2131                              | 1853673 | 72346                                      | 723460   | 80000.00   |

निविदाकार के हस्ताक्षर

दिनांक

## भाग - 3

### ई - निविदाकार के लिए विशेष निर्देश एवं आवश्यक शर्तें :-

- 1) मध्यप्रदेश अधिप्राप्ति नियमावली - 2017 में निहित प्राविधानों के अनुसरण में दो प्रस्ताव निविदा प्रणाली के आधार पर विधान सभा की फोटोयुक्त निर्वाचक नामावलियों, बी एल ओ रजिस्टर, फोटो मतदाता पर्ची एवं फोटो मतदाता पर्ची वितरण रजिस्टर को लेजर प्रिंटिंग एवं आपूर्ति हेतु फर्मों को अनुबंध हेतु सूचीबद्ध किये जाने हेतु इच्छुक निविदाकारों से दिनांक 06/10/2021... समय शा. 6.00 बजे तक वेबसाइट [www.mptenders.gov.in](http://www.mptenders.gov.in) के माध्यम से तकनीकी और वित्तीय ई - निविदा केवल ऑन लाइन आमंत्रित की जाती है।
- 2) ई - निविदा में प्रतिभाग करने के लिए निविदाकारों के पास (Class III DSC (Digital Signature Certificate) होना अनिवार्य है।
- 3) निविदाकारों द्वारा तकनीकी एवं वित्तीय बिड केवल ऑनलाइन प्रस्तुत करनी होगी। तकनीकी बिड के प्रत्येक पृष्ठ पर फर्म आदि के अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा हस्ताक्षर करना अनिवार्य होगा। तकनीकी बिड के साथ विभागीय ई - निविदा के इस सम्पूर्ण अभिलेख को भी हस्ताक्षर कर प्रस्तुत करना होगा।
- 4) उल्लेखित अंतिम तिथी व समय तक प्राप्त ई - निविदाओं की तकनीकी निविदाओं को दिनांक 07/10/2021... समय शा. 3.00 बजे से निविदा समिति के अधिकृत अधिकारियों के द्वारा खोला जायेगा और तत्पश्चात दिनांक 07/10/2021... समय शा. 3.00 बजे तकनीकी ई - निविदाओं का अधिकृत सक्षम अधिकारियों के द्वारा मूल्यांकन (Evaluation) किया जायेगा।
- 5) निविदाकार के कार्यालय में स्थापित लेजर प्रिंटरों की कुल संख्या अन्य अपेक्षित विवरण की प्रति Annexure-- 1 पर प्रस्तुत करनी अनिवार्य होगी।
- 6) निविदाकार को भारत सरकार/किसी भी राज्य सरकार से ब्लेक लिस्टेड नहीं होना चाहिए। फर्म को ₹.100.00 के नॉन जूडिशियल स्टाम्प पेपर पर नोटरी द्वारा सत्यापित एवं तकनीकी ई - निविदा के साथ फर्म द्वारा प्रस्तुत सभी सूचनाएं/ अभि सत्य है और कोई भी सूचना जिसे निविदा के साथ उपलब्ध कराया जाना आवश्यक था छिपाई नहीं गई है।
- 7) निविदा प्रस्तुतकर्ता फर्म आदि के पास प्रत्येक दिन कम से कम 1.00 लाख पेंज लेजर प्रिंट करने की क्षमता रखने वाले उच्च गुणवत्ता के लेजर प्रिंटर होने चाहिए। लेजर प्रिंटिंग कम से कम 600DPI पर ही स्वीकार की जायेगी उक्त नियत DPI से कम की लेजर प्रिंटिंग स्वीकार नहीं की जायेगी। और न ही इससे अधिक की DPI पर लेजर प्रिंटिंग करने पर कोई अतिरिक्त भुगतान किया जायेगा।
- 8) लेजर प्रिंटिंग पर गुणवत्तायुक्त कम से कम 75 GSM का कागज ही प्रयोग में लाया जायेगा इससे कम गुणवत्ता का कागज निर्वाचक नामावलियों की लेजर प्रिंटिंग में स्वीकार नहीं किया जायेगा। जिसका जाँच शुल्क की राशि का वहन निविदाकार को करना होगा।

- 9) निर्धारित गुणवत्तायुक्त कागज पर नियत गुणवत्ता के साथ विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रवार/मतदान केन्द्रवार फोटोयुक्त निर्वाचक नामावलियों की लेजर प्रिंटिंग करने के साथ –साथ इन्हें मतदान केन्द्रवार स्टेपल करने विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रवार सुरक्षित ढंग से सेट तैयार कर कार्यादेश में निर्धारित अवधि के अंतर्गत जिला निर्वाचन कार्यालयों के भंडार कक्ष तक पहुँचाने का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व संबंधित फर्म का ही होगा | जिला निर्वाचन कार्यालय भंडार तक फोटोयुक्त निर्वाचक नामावलियों के सेट पहुँचाने के लिए किसी प्रकार का किराया – भाड़ा और लोडिंग/अनलोडिंग हेतु मजदूरी आदि देय नहीं होगी |
- 10) निविदा के साथ अपेक्षित धरोहर की धनराशि अपेक्षाकृत प्रस्तुत न करने पर निविदा मान्य नहीं होगी | तकनीकी ई –निविदा के साथ सभी अपेक्षित प्रमाण पत्र संलग्न किये जायेंगे |
- 11) निर्धारित तिथी एवं समय पर निविदा समिति के अधिकृत अधिकारियों के द्वारा ई-तकनीकी निविदाएँ खोली जायेंगी | तकनीकी निविदा के मूल्यांकन एवं वर्गीकरण के उपरान्त पात्र निविदाकारों की सूची तैयार की जायेगी | ई- तकनीकी निविदा में पात्र पाए गये निविदाकारों की ही यथा समय जिला निर्वाचन अधिकारी के निर्देशानुसार वित्तीय ई –निविदाएँ खोली जायेंगी | अपात्र पाए गए निविदाकारों की वित्तीय ई-निविदा नहीं खोली जायेगी |
- 12) नियमानुसार ई – तकनीकी निविदा में पात्र पाई गई फर्म आदि की ई –वित्तीय निविदा को ही खोला जायेगा | ई –वित्तीय निविदा खोले जाने के पश्चात जिस फर्म आदि को न्यूनतम निविदा के आधार पर एल-1 की श्रेणी में वर्गीकृत किया जायेगा ऐसी किसी भी फर्म आदि को उनके द्वारा प्रस्तुत न्यूनतम दर के आधार पर कार्यादेश की धनराशि का 10 प्रतिशत की धनराशि या बैंक गारंटी / डिमांड ड्राफ्ट के द्वारा कार्यपूर्ति जमानत के रूप में प्रस्तुत करनी होगी जिसकी वैधता तीन वर्ष छः माह की होनी चाहिए |
- 13) ई – वित्तीय निविदा खोले जाने के पश्चात निविदा समिति के द्वारा एल-1 में वर्गीकृत फर्म आदि के द्वारा कदाचित यदि उन्हें निविदा प्रक्रिया से बाहर करने के लिखित अनुरोध किया जाता है या निर्धारित तिथि समय तक अपेक्षित जमानत की धनराशि जमा नहीं की जाती है या किसी भी प्रकार से निविदा प्रक्रिया से बाहर होने/सम्मिलित होने पर असमर्थता व्यक्त की जाती है तो ऐसी दशा में उसकी धरोहर की धनराशि जब्त कर ली जायेगी |
- 14) निविदा समिति की संतुष्टि के आधार पर एल-1 में वर्गीकृत फर्म आदि द्वारा कार्यादेश निर्गत होने पर नियत तिथि तक अपेक्षित गुणवत्ता के साथ निर्धारित मात्रा में निर्वाचक नामावली के सेट उपलब्ध न कराने पर संबंधित फर्म की जमानत की धनराशि जब्त कर ली जायेगी | ऐसी स्थिति में विभाग फर्म आदि के विरुद्ध न्यायिक/दण्डात्मक कार्यवाही के लिये भी स्वतंत्र होगा |
- 15) समय पर संतोषजनक लेजर प्रिंटिंग के पश्चात फर्म द्वारा गन्तव्य तक ट्रांसपोटेशन, लोडिंग – अनलोडिंग या अन्य किसी भी आकस्मिक दुर्घटना के लिये विभाग उत्तरदायी नहीं होगा और इस हेतु किसी भी प्रकार का कोई दावा या क्षतिपूर्ति स्वीकार नहीं किया जायेगा | फर्म/कम्पनी/ साझेदार अथवा व्यक्तिगत आदि उक्त के लिए स्वयं उत्तरदायी होगा |

- 16) . नियमानुसार किसी भी फर्म/कम्पनी आदि की निविदा स्वीकृत होने के पश्चात फर्म/कम्पनी आदि को रू 1000.00 रुपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर 7 दिवस में अनुबंध करना होगा जिसकी विषय वस्तु से यथा समय अवगत करा दिया जायेगा |
- 17) वित्तीय ई - निविदा के प्रारूप BOQ में लेजर प्रिंटिंग की दरें स्पष्ट रूप से अंकित की जानी चाहिये | BOQ में प्रस्तुत वित्तीय ई - निविदा में प्रस्तुत दर में गन्तव्य तक परिवहन लोडिंग एवं अनलोडिंग सहित सम्मिलित होंगी तथा GST दर जो प्रचलन में होगा वह देय होगा |
- 18) निविदा शर्तों के अधीन संतोषजनक ढंग से आपूर्ति किये जाने के फलस्वरूप विभाग का समाधान हो जाने के पश्चात ही आपूर्तिकर्ता फर्म को एक माह पश्चात अथवा निविदा की वैद्यता समाप्ति के पश्चात जिला निर्वाचन अधिकारी के निर्देशानुसार ही उनकी जमानत की धनराशि वापस की जायेगी |
- 19) देयक की कुल धनराशि के सापेक्ष विभाग द्वारा नियमानुसार टी.डी.एस. की कटौती की जायेगी | लेजर प्रिंटिंग संबंधी देयकों का भुगतान जिला निर्वाचन कार्यालयों द्वारा किया जायेगा |
- 20) सामान्यतः धरोहर धनराशि की वैधता निविदा की अंतिम वैध अवधि के पश्चात 45 दिन होगी परन्तु इस अवधि को आवश्यकतानुसार बढ़ाया जा सकता है | तकनीकी रूप असफल निविदाकारों की धरोहर की धनराशि ऐसी निविदाओं की अस्वीकृति के तुरंत पश्चात संबंधित फर्म को वापस लौटा दी जायेगी |
- 21) एक से अधिक फर्मों की न्यूनतम दर एक समान होने पर कार्य का आवंटन लाटरी पध्दती से होगा जिसमें जिला निर्वाचन अधिकारी का निर्णय अंतिम और सर्वमान्य होगा | निर्वाचन कार्यों की तात्कालिकता महत्ता एवं समयबद्धता को ध्यान में रखते हुए आवश्यकता पड़ने पर एल-1 में वर्गीकृत ( अंतिम रूप से तकनीकी अर्हता प्राप्त फर्म की न्यूनतम दर ) फर्म एवं तकनीकी आधार पर अंतिम रूप से पात्र पाई गई अन्य फर्म/ फर्मों आदि के मध्य एल - 1 की न्यूनतम दरों पर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रवार कार्य विभाजन करने का अधिकार भी जिला निर्वाचन अधिकारी के पास सुरक्षित होगा |
- 22) जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा एल-1 के आधार पर एक से अधिक फर्मों/कम्पनी आदि को कार्य विभाजन के उपरान्त कार्यदेश निर्गत करने पर कार्यदेश के अनुरूप अनुमानित व्यय के सापेक्ष प्रत्येक फर्म /कम्पनी आदि को निविदा में उल्लेखित नियम/शर्तों के अनुसार 10 प्रतिशत की धनराशि जमानत के रूप में प्रस्तुत करनी होगी | फर्म /कम्पनी के लिखित अनुरोध पर धरोहर की धनराशि को जमानत की धनराशि के रूप में समाहित/ प्रत्यावर्तित किया जा सकता है | कदाचित जमानत की धनराशि धरोहर की धनराशि से कम होने पर धरोहर की पूर्ण धनराशि को ही जमानत के रूप में समाहित/प्रत्यावर्तित किया जायेगा इसके किसी भाग को वापस नहीं लौटाया जायेगा |
- 23) लेजर प्रिंटिंग जिला निर्वाचन कार्यालय से प्राप्त तद विषयक PDF DVD एवं जिले के अधिकृत अधिकारी की उपस्थिती एवं निगरानी में ही सुनिश्चित की जायेगी | प्रिन्टिंग के उपरांत जिले के अधिकृत अधिकारी द्वारा मूल PDF DVD द्वारा वेंडर से प्राप्त की जायेगी | फर्म को फोटोयुक्त विधान सभा निर्वाचक नामावलियों की लेजर प्रिंटिंग हेतु निर्गत कार्यदेश में उल्लेखित निर्धारित तिथी तक अपेक्षित मात्रा में लेजर प्रिंट सेट जिला निर्वाचन कार्यालय तक उपलब्ध कराने अनिवार्य होंगे | जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा दी

गई अवधि में ही आपको कार्य कर सम्बन्धित जिला निर्वाचन अधिकारी को उपलब्ध कराया जाना है । जिसमे परिवहन के लिए अतिरिक्त समय नहीं होगा , अर्थात परिवहन का समय उसी अवधि के अंतर्गत माना जावेगा ।

- 24) निविदाकार फर्म आदि के द्वारा जिस फर्म के नाम पर ई – निविदा के माध्यम से अपनी निविदा प्रस्तुत की गई है उसी फर्म आदि के नाम से सभी तकनीकी अभिलेख ( ई – तकनीकी निविदा में जो भी अपेक्षित है ) प्रस्तुत करने अनिवार्य होंगे । तकनीकी ई –निविदा में अपलोड किए गये कोई भी अभिलेख केवल हिन्दी अथवा अंग्रेजी भाषा में ही होने चाहिए और सुस्पष्ट रूप साफ और पठनीय होने चाहिये ।
- 25) ई – निविदा आवेदन पत्र में समस्त सूचनाये यथा स्थान स्पष्ट पठनीय लेख में हों एवं तकनीकी ई – निविदा में अपलोड किये गये वांछित सभी अभिलेख क्रमवार संलग्न किए गए हो । केवल वही अभिलेख तकनीकी ई – निविदा में अपलोड किये जाये जो इस निविदा के माध्यम से वांछित हो । अनावश्यक और अवांछित कोई भी अभिलेख तकनीकी एवं वित्तीय प्रस्ताव ई – निविदा में अपलोड न किये जाये अन्यथा निविदा निरस्त कर दी जायेगी ।
- 26) किसी भी निविदा को स्वीकृति/अस्वीकृत करने का जिला निर्वाचन अधिकारी के पास सर्वाधिकार सुरक्षित होगा । उक्त के सन्दर्भ में जिला निर्वाचन अधिकारी का निर्णय अंतिम और सर्वमान्य होगा । सशर्त कोई भी निविदा मान्य नहीं होगी । निविदा के सम्बन्ध में न्यायाधिकार क्षेत्र जिला मुख्यालय होगा । आवश्यकता पड़ने पर निविदा की नियम/शर्तों में संशोधन/परिवर्तन करने का सर्वाधिकार सुरक्षित होगा ।
- 27) इस निविदा की अवधि/वैधता तीन वर्षों के लिए होगी। निविदा की अवधि को बढ़ाने या कम करने या समाप्त करने का सर्वाधिकार मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी , मध्यप्रदेश पूर्व अनुमति से सम्बन्धित जिला निर्वाचन अधिकारी के पास होगा ।

#### 28) पात्रता के मापदंड

| Eligibility Criteria  | Documents to be Provided  |
|---|---|
| 1. निविदाकार भारत में वैधानिक रूप से पंजीकृत कंपनी/ फर्म/ प्रोपराईटर शॉप होनी चाहिये जो कि 31-03-2021 को कम से कम 3 वर्ष की अवधि के लिए अस्तित्व में हो ।   | स्थापना पंजीयन / गुमास्ता पंजीयन  |
| 2. निविदाकार के पास निविदा जमा करने की दिनांक को वैध जी.एस.टी और पैन नंबर होना चाहिए।   | प्रमाण संलग्न करे   |
| 3. निविदाकार का औसत टर्नओवर पिछले तीन वित्तीय वर्षों 2017-18 2018-19 और 2019-20 में कम से कम रु. 20.00 लाख ( बीस लाख ) का होना चाहिए जिसमे मुद्रण कार्य से औसत टर्नओवर प्रति वर्ष 5 लाख या अधिक का हो । | CA प्रमाण पत्र UDIN नंबर के साथ जिसमे कुल टर्नओवर और समान कार्य से टर्नओवर स्पष्टता से दर्शाया गया हो । |
| 4. विगत तीन वर्षों में प्रिंटिंग कार्य का विभिन्न सरकारी विभाग/ कार्यालय में समान प्रकृति के प्रिंटिंग आदि कार्य करने का रु. 5.00 लाख तक के एकमुश्त कार्यादेश की प्रति संलग्न करनी अनिवार्य होगी ।      | कार्यादेश की प्रति एवं कार्यपूर्णता का प्रमाण पत्र  |



## 29. सेवा स्तर और दण्ड (पेनल्टी)

वेंडर द्वारा निम्नलिखित सेवा स्तर पैरामीटरों का कड़ाई से पालन किया जाएगा:

| सेवा Offered                               | सेवा स्तर Service Level  | दण्ड Penalties  |
|--|--|---|
| फोटो निर्वाचक नामावली                      | आदेश की तारीख से पांच दिन और सभी मामलों में फोटो मतदाता सूची के प्रकाशन से 2 दिन पहले कार्यालय में प्रदाय करना होगी। | जिस कुल कार्य का मुद्रण पूरा नहीं हुआ है उस पर विक्रेता को 20% का जुर्माना लगेगा। |
| बी.एल.ओ. रजिस्टर                           | आदेश देने की तिथि से 10 दिनों में प्रदाय करना होगा।  | कुल कार्य जिसके लिए पूरा नहीं हुआ है पर 20% जुर्माना।                             |
| फोटो वोटर स्लिप व वोटर स्लिप वितरण रजिस्टर | आदेश देने के पांच दिनों में प्रदाय करना होगा।  | जिस कार्य की मुद्रण पूरा नहीं हुआ है उस पर विक्रेता को 20% का जुर्माना लगेगा।     |

## 30. भुगतान

भुगतान: जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा भुगतान निम्नलिखित शर्तों के अनुसार जारी किया जाएगा:

1. वेंडर कार्य के प्रत्येक भाग को सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद (कार्य विवरण में वर्णित) बिल जमा करेगा। जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा वेंडर को बिल का 80% भुगतान सत्यापन उपरांत किया जाएगा।
2. संतोषजनक कार्य पूर्ण होने पर वेंडर कार्य के शेष भुगतान के लिए हकदार होगा जो उसे जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा सौंपा गया है। वेंडर शेष राशि 20% का बिल जिला निर्वाचन अधिकारी को प्रस्तुत करेगा। जिला निर्वाचन अधिकारी आवश्यक हो तो किसी भी राशि की कटौती के बाद शेष राशि का भुगतान करेगा। विलंबित भुगतान पर कोई ब्याज देय नहीं होगा।

## 31. निलंबन और समाप्ति

1. इस अनुबंध के तहत यहां उल्लिखित प्रावधानों के अधीन अनुबंध अवधि की समाप्ति पर स्वतः समाप्त हो जाएगा।
2. जिला निर्वाचन अधिकारी इस अनुबंध को समाप्त कर सकता है यदि वेंडर इस अनुबंध की शर्तों का उल्लंघन करता है और उल्लंघन की सूचना मिलने के 30 दिनों के भीतर इसे सुधारने में विफल रहता है।
3. जिला निर्वाचन अधिकारी के पास परियोजना के दौरान मध्य प्रदेश सरकार या भारत सरकार के किसी अन्य मंत्रालय द्वारा काली सूची (ब्लैक लिस्ट) में डाले जाने की स्थिति में या वेंडर को कानूनी/कर चोरी के मामले में या खाते में दोषी ठहराए जाने की स्थिति में अनुबंध को समाप्त करने का अधिकार सुरक्षित है।

4. इस अनुबंध की शर्तों के अनुसार अनुबंध के उल्लंघन के कारण जिला निर्वाचन अधिकारी इस अनुबंध को समाप्त कर देता है तो जिला निर्वाचन अधिकारी को धरोहर राशी को जब्त करने का अधिकार होगा।
5. अनुबंध समाप्त होने पर शर्तों के अधीन इस अनुबंध को जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा बढ़ाया या कम किया जा सकता है।
6. जिला निर्वाचन अधिकारी किसी भी समय बिना किसी मुआवजे के वेंडर को 30 दिनों का लिखित नोटिस देकर अनुबंध को समाप्त कर सकता है।
7. निम्नलिखित परिस्थितियों/कारणों के तहत जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा वेंडर का तत्काल निलंबन किया जा सकता है:
  - निविदा/अनुबंध की किसी भी शर्त का उल्लंघन
  - प्रदान की गई सेवा की गुणवत्ता और मात्रा में विचलन पाया गया या
  - यदि यह पाया जाता है कि निविदा की प्रक्रिया के दौरान निविदाकार द्वारा धोखाधड़ी की गई थी।
8. दोषपूर्ण/घटिया सेवा प्रदान करना और इस संबंध में उचित कार्रवाई करना सरकार के हितों की रक्षा के लिए तत्काल वेंडर की नियुक्ति को निलंबित कर दिया जाएगा। हालांकि मामले पर अंतिम फैसला लेने से पहले सभी संबंधित पक्षों को अपना पक्ष रखने का उचित मौका दिया जाएगा। जांच के बाद यदि निविदाकार दोषी पाया जाता है तो संबंधित सेवा के लिए संबंधित निविदाकार की नियुक्ति को रद्द कर दिया जाएगा और सभी संबंधितों के खिलाफ अन्य उचित कानूनी कार्रवाई भी शुरू की जाएगी। किसी भी विवाद के मामले में जिला निर्वाचन अधिकारी एवं मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा।

### अन्य शर्तें

32. यदि प्रक्रिया के दौरान भारत निर्वाचन आयोग या मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी मध्यप्रदेश द्वारा निर्देशों एवं मुद्रण प्रक्रिया में कोई परिवर्तन/ संशोधन किया जाता है तो वह बिना किसी अतिरिक्त राशि दिए मानी होंगे। अर्थात् वेंडर को इसका अतिरिक्त भुगतान नहीं किया न ही भुगतान में विलम्ब होने पर किसी प्रकार का ब्याज डे नहीं होगा।
33. जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा जारी किए गए कार्य आदेशों के लिए अनुमोदित दर वैध और संचालित होनी चाहिए। जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा उन्हें सौंपे गए कार्य को निर्धारित स्थान तिथि और समय पर निष्पादित करना वेंडर के लिए बाध्यकारी है।
34. वेंडर पेपर जांच शुल्क स्वयं खर्च वहन करेगा।
35. वेंडर किसी भी परिस्थिति में पहले से अनुमोदित और स्वीकृत दरों को संशोधित नहीं करेगा और निर्धारित समय सीमा के भीतर किए गए कार्य को पूरा करेगा। स्वीकृत दरों में वृद्धि के किसी भी अनुरोध पर किसी भी परिस्थिति में विचार नहीं किया जाएगा।
36. वेंडर पूरे काम को जिला निर्वाचन अधिकारी के दिशानिर्देशों के अनुसार सख्ती से निष्पादित करेगा। वेंडर जिला निर्वाचन अधिकारी कार्यालय द्वारा जारी किए गए निर्देशों की पूरी तरह और ईमानदारी से पालन करेगा।

37. जिला निर्वाचन अधिकारी के पास मूल विनिर्देशों नमूना डिजाइन और निर्देशों में कोई भी परिवर्तन या परिवर्धन करने की शक्ति होगी जो उसे आवश्यक प्रतीत हो। वेंडर इस संबंध में किसी भी निर्देश के अनुसार समान दर पर काम करने के लिए बाध्य होगा
38. निविदा दस्तावेज के अनुसार फोटो मतदाता सूची की PDF सीडी/डीवीडी जिला निर्वाचन कार्यालय की संपत्ति होगी। मुद्रण उपरांत वेंडर को उन्हें जिला निर्वाचन कार्यालय को सोपना होगा। वेंडर PDF का उपयोग किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं करेगा।
39. इस निविदा की अवधि/वैधता तीन वर्षों के लिए होगी। निविदा की अवधि को बढ़ाने या कम करने या समाप्त करने का सर्वाधिकार मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश पूर्व अनुमति से सम्बन्धित जिला निर्वाचन अधिकारी के पास होगा।
40. मुद्रण कार्य के wastage को श्रेडर मशीन द्वारा नष्ट किये जाने का उत्तरदायित्व वेंडर का होगा।
41. लेजर प्रिंटिंग का कार्य पूर्ण होने पर संबंधित फर्म को इस आशय का एक शपथ – पत्र भी संबंधित देयकों के साथ प्रस्तुत करना होगा की उनके द्वारा उक्त PDF की न तो कोई कॉपी की गई है और न ही विभाग की अनुमति के बिना किसी अन्य व्यक्ति / व्यक्तियों को इसकी कॉपी उपलब्ध कराई गई है। प्रिंटिंग करने के उपरांत ही मूल PDF DVD विभाग को वापस करने, कम्प्यूटर सिस्टम एवं प्रिंटर से PDF डिलीट करने का उत्तरदायित्व भी संबंधित फर्म/कम्पनी एवं नियुक्त अधिकारी का होगा।



कलेक्टर

एवं जिला निर्वाचन अधिकारी  
जबलपुर

# कार्यालय जिला निर्वाचन अधिकारी जिला जबलपुर

मेल आई डी deojabalpur01@gmail.com

## वित्तीय प्रस्ताव

| स.क्र. | कार्य का विवरण   | प्रति        | प्रिंटिंग मूल्य |
|--------|--|--------------|-----------------|
| 1      | फोटो निर्वाचक नामावली का मुद्रण एक तरफ (सिंगल साईड ) A-4 साईज  | प्रति प्रष्ठ |                 |
| 2      | फोटो निर्वाचक नामावली का मुद्रण दोनों तरफ (डबल साईड ) A-4 साईज | प्रति प्रष्ठ |                 |
| 3      | बी एल ओ रजिस्टर प्रिन्टिंग (डबल साईड) एवं बाइंडिंग A-4 साईज    | प्रति प्रष्ठ |                 |
| 4      | फोटो मतदाता पर्ची (A-4 साईज डबल साईड)                          | प्रति प्रष्ठ |                 |
| 5      | मतदाता पर्ची वितरण रजिस्टर A-4 साईज                            | प्रति प्रष्ठ |                 |
|        | <b>कुल दर का योग</b>   |              |                 |

- नोट:-** 1.विभाग द्वारा GST की जो भी दर प्रचालन में होगी वह प्रथक से देय होगी ।  
2.मुद्रण की दर रुपये में दी जाना है ।  
3.प्रस्तुत दरों का योग एल-1 होगा ।  
4.प्रस्तुत दर अनुबंध की अवधी तक समान होगी ।

निविदाकार के हस्ताक्षर

एवं मोहर

### ANNEXURE-1

निविदा के साथ निविदाकार द्वारा संलग्न किया जाये

1. फर्म का नाम – \_\_\_\_\_
2. फर्म का पता :- \_\_\_\_\_
3. निविदाकार का नाम \_\_\_\_\_
4. पिता का नाम \_\_\_\_\_
5. कार्य का अनुभव \_\_\_\_\_
6. निविदाकार का टर्न ओवर \_\_\_\_\_  
(चार्टर्ड अकाउंटेंट का प्रमाणीकरण संलग्न किया जाए )
7. निविदाकार का GST नंबर (प्रमाण संलग्न किया जाए)
8. मोबाईल नंबर \_\_\_\_\_
9. ई-मेल \_\_\_\_\_

10- उपरोक्त पते पर स्थापित लेजर प्रिंटरों/वर्करो आदि का विवरण :-

| क्र. सं. | वर्तमान में उपलब्ध लेजर प्रिंटरों की कुल संख्या | लेजर प्रिंटर किस कम्पनी का है ( प्रिंटर का पूरा नाम सीरीज और मेन्युफेक्चरिंग वर्ष का विवरण | लेजर प्रिंटरों की DPI क्षमता | प्रति मिनट प्रिंट करने की क्षमता | प्रति दिन प्रिंट करने की क्षमता | जनरेटर/यु पी एस की व्यवस्था | स्थापित कम्प्यूटर की संख्या | प्रिंटर दुरुस्ती इंजीनियर की संख्या | अनुभवी कर्मचारियों की संख्या |
|----------|---|--|------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|------------------------------|
|          |   |  |                              |                                  |                                 |                             |                             |                                     |                              |
|          |   |  |                              |                                  |                                 |                             |                             |                                     |                              |
|          |   |  |                              |                                  |                                 |                             |                             |                                     |                              |

हस्ताक्षर एवं मोहर

**ANNEXURE-2**

**सहमती-पत्र**

**(निविदाकार द्वारा लेटर हेड पर जमा किया जाये)**

मैंने (नाम) .....फर्म का नाम ..... पता ..... जिला निर्वाचन अधिकारी,जिला .....की विधान-सभा क्षेत्रों के लिये फोटो निर्वाचक नामावलियों, बी एल ओ रजिस्टर, फोटो मतदाता पर्ची एवं मतदाता पर्ची वितरण रजिस्टर के मुद्रण हेतु जारी निविदा क्रमांक .....दिनांक.....का अवलोकन एवं शर्तों का भी अध्ययन कर लिया है। मैं उनके पालन का वचन देता हूं। इस हेतु ऑनलाईन वितीय निविदा में दी गई दर पर कार्य आवंटन दिनांक से तीन वर्ष की अवधि तक करने के लिए सहमत होकर इस हेतु अपना प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं। कार्यादेश प्राप्त होने पर निविदा की पूर्ण शर्तों के अनुसार अनुबंध एवं कार्य करने हेतु वचन पत्र (Undertaking) प्रस्तुत किया जायेगा।

निविदाकार/ प्राधिकृत का नाम

पदनाम

निविदाकार के हस्ताक्षर एवं मोहर

दिनांक

## तकनीकी निविदा चेकलिस्ट

(निम्न जानकारी निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य है )

1. स्थापना पंजीयन
2. GST पंजीयन की प्रति
3. पेन कार्ड की प्रति
4. CA का टर्नओवर प्रमाण पत्र
5. कार्यादेश एवं कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र
6. Annexure - 1
7. Annexure - 2
8. निविदाकार का विवरण
9. ब्लेकलिस्ट न होने का घोषणा पत्र Annexure - 3
10. शपथ पत्र Annexure - 4

**ANNEXURE-3**

**काली सूची (Black List) में शामिल न होने का घोषणा पत्र**  
किसी भी सरकारी संस्था द्वारा काली सूची में न डाले जाने की स्व-घोषणा  
( निविदाकार के लेटरहेड पर )

प्रति

जिला निर्वाचन अधिकारी

जिला जबलपुर

विषय: किसी भी सरकारी संस्था द्वारा काली सूची में न डाले जाने की घोषणा ।

सन्दर्भ: मध्य प्रदेश राज्य के जिला जबलपुर के लिए भारत निर्वाचन आयोग के  
दिशा -निर्देशों के अनुसार फोटो मतदाता सूची के मुद्रण के लिए निविदा ।

(निविदा संख्या: \_\_\_\_\_ दिनांक \_\_\_\_\_)

श्रीमान,

उपयुक्त निविदा के मैं मैं/हम, \_\_\_\_\_ मेसर्स \_\_\_\_\_ के  
\_\_\_\_\_ पदनाम के रूप में, एतद्वारा घोषणा करते हैं कि मेरी/हमारी कम्पनी/फर्म  
\_\_\_\_\_ का पिछला रिकार्ड बेदाग है और किसी भी राज्य द्वारा हमारी संस्था को काली  
सूची में शामिल नहीं किया गया है या अयोग्य घोषित नहीं किया गया है । केंद्र सरकार, राज्य  
सरकार या पीएसयू में असंतोषजनक प्रदर्शन, सामान्य या विशिष्ठ निर्देशों के उल्लंघन, भ्रष्ट/  
धोखाधड़ी या किसी अन्य मामले में अनैतिक व्यवसाय प्रथाओं के कारण अयोग्य घोषित नहीं  
किया गया है

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

पद

स्थान

दिनांक

सील और साइन



**शपथ पत्र**  
( तकनीकी प्रस्ताव के साथ प्रस्तुत किया जाना है )  
**1000/- रूपये के स्टाम्प पेपर पर विधिवत नोटरीकृत निविदाकार द्वारा दिया जाना है )**

मैं, \_\_\_\_\_ पुत्र, \_\_\_\_\_  
निवासी \_\_\_\_\_ पदनाम \_\_\_\_\_ फर्म का नाम \_\_\_\_\_  
सत्यनिष्ठ से पुष्टी करता हूँ और निम्नानुसार बताता हूँ :

1. की मैं \_\_\_\_\_ कंपनी का नाम \_\_\_\_\_ का अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता हूँ और मुझे कंपनी/ फर्म द्वारा निविदाकार की ओर से शपथ लेने और इस शपथ पत्र को प्रस्तुत करने के हस्ताक्षरकर्ता हूँ और मुझे कम्पनी/फर्म द्वारा निविदाकार की ओर से शपथ लेने और इस शपथ पत्र को प्रस्तुत करने के लिए विधिवत अधिकृत किया गया है ।

2. यह कि मैंने जिला निर्वाचन अधिकारी जिला \_\_\_\_\_ निविदा का नाम \_\_\_\_\_ के लिए हमारी पात्रता के संबंध में जानकारी प्रस्तुत की है , प्रस्ताव के लिए अनुरोध ("निविदा") दस्तावेज के माध्यम से हमारे द्वारा प्रस्तुत की गई सभी उक्त जानकारी सटीक, सत्य और सही है और हमारे पास उपलब्ध हमारी रिकार्ड पर आधारित है ।

3. कि मैं इस निविदा के तहत हमारे द्वारा प्रदान की गई हमारी साख्त/जानकारी को सत्यापित करने के लिए किसी भी जानकारी को प्रस्तुत करने की पुष्टि करता हूँ ।

4. यदि अनुबंध अवधि सहित किसी भी समय , यदि जिला निर्वाचन अधिकारी, जिला \_\_\_\_\_ हमारी वित्तीय या तकनीकी क्षमताओं, या किसी अन्य प्रासंगिक जानकारी के बारे में कोई और अतिरिक्त जानकारी का अनुरोध करता है ,तो मैं तुरंत प्रत्येक जानकारी को सटीक रूप से उपलब्ध कराऊंगा और सही ढंग से जिला निर्वाचन अधिकारी, जिला \_\_\_\_\_ को सहयोग करूंगा ।

5. कि मैं पूरी तरह से स्वीकार करता हूँ और समझता हूँ कि निविदा में हमारे द्वारा किसी भी झूठी या भ्रामक जानकारी को प्रस्तुत करने से हमें निविदा प्रक्रिया से अयोग्य घोषित किया जा सकता है । प्रत्येक अयोग्यता के लिए लागत और जोखिम पूरी तरह से हमारे द्वारा वहन किया जायेगा और हमारी अमानत राशि भी जब्त कर ली जायेगी । इसके अलावा , जिला निर्वाचन अधिकारी, जिला \_\_\_\_\_ अपने विवेक पर अदालत में मेरी फर्म के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही भी शुरू कर सकता है ।

6. मेरे द्वारा निविदा दस्तावेज के सभी नियमों और शर्तों का विधिवत अनुपालन किया गया है ।

नाम और हस्ताक्षर

स्थान

दिनांक